सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 28, शुक्रवार, *शाके 1946*-जुलाई 19, *2024* *Asadha 28, Friday, Saka 1946- July 19, 2024*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 18, 2024

जी.एस.आर.16 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पुलिस सेवा (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये 16.04.2021 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. नियम 11 का संशोधन.- राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 11 के उप-नियम (1) का निम्नलिखित विद्यमान परंतुक (xvii):-

"(xvii) अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के मामले में अपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।",

को 16.04.2021 से हटाया गया समझा जायेगा।

[संख्या एफ.1(12)डीओपी/क-2/79]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

दिनेश कुमार शर्मा,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, July 18, 2024

G.S.R.16 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Police Service Rules, 1954, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Police Service (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 16-04-2021.

2. **Amendment of rule 11**.- The existing following proviso (xvii) to sub-rule (1) of rule 11 of the Rajasthan Police Service Rules, 1954:-

" (xvii) the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 5 years in the case of candidates belonging to the Other Backward Classes",

shall be deemed to have been deleted with effect from 16.4.2021.

[No. F.1(12)DOP/A-II/79]

By order and in the name of the Governor,

DINESH KUMAR SHARMA,

JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.